कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव

पत्रांक : एमडीएम/ 22422-27 /2026–27 दिनांक 30-10-26

समस्त खण्ड शिक्ष अधिकारी
उन्नाव।

विषयः पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्यनरत समस्त छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत सूजी से निर्मित मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) दिये जाने के संबंध में

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या मा0भो0प्र0/फ्लैक्सी/सी–1957/2026–27 दिनांक 08 अक्टूबर 2026 के द्वारा पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्यनरत समस्त छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत सूजी से निर्मित मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) दिये प्रदान किये गये हैं। जिसके अर्न्तगत निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चत की जानी है।

1– सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन माह नवम्बर, 2026 से 14 सप्ताह (माह फरवरी, 2027 के तृतीय सप्ताह तक) तक की अवधि हेतु संचालित की जायेगी ।

2– सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण प्रत्येक शुक्रवार (कुल 14 विद्यालय दिवस हेतु) को किया जायेगा। शुक्रवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में वितरण किया जायेगा ।

3– माह के प्रथम व तृतीय सप्ताह को मीठा हलवा तथा द्वितीय, चतुर्थ व पंचम सप्ताह में उपमा (नमकीन हलवा) वितरित किया जायेगा ।

4– सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर रसोइयों द्वारा मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 30 ग्राम सूजी व अन्य सामग्रियों से तैयार कर वितरित किया जायेगा । मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) में प्रयोग की जाने वाली सामग्री व सामग्री का अनुमानित आंकलन अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या मा0भो0प्र0/फ्लैक्सी/सी–1957/2026–27 दिनांक 08 अक्टूबर 2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में किया जायेगा।

5– सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण विद्यालय में मध्यावकाश में मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त किया जायेगा ।

6– सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) बनाये जाने हेतु यथासम्भव पैक्ड व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपयोग किया जायेगा ।

7–पैक्ड सामग्री की स्थिति में खाद्य सामग्री **FSSAI** मार्क्स हो तथा एक्स्पायरी डेट का ध्यान रखा जायेगा ।

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या मा0भो0प्र0/फ्लैक्सी/सी–1957/2026–27 दिनांक 08 अक्टूबर 2026 में प्रदत्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चत करते हुये पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्यनरत समस्त छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत सूजी से निर्मित मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) वितरित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चत की करायें व अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायें।

संलग्नक–उक्तवत्।

(शैलेश कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

पृ0सं0– एमडीएम/ /2026–27 तद्दिनॉक
प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी उन्नाव।
3. मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

latter 2026-27

पत्रांक–म0भो0प्रा0 / फ्लैक्सी / C-1957 / 2026–27

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 08 अक्टूबर, 2026

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्यनरत समस्त छात्रों को 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन' के अन्तर्गत सूजी से निर्मित 'मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) दिये जाने हेतु कार्ययोजना एवं निर्देश प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 से योजनान्तर्गत ''फ्लैक्सी फण्ड'' की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत योजनान्तर्गत कुल आवर्ती बजट के 05 प्रतिशत फण्ड के प्रयोग किये जाने की सीमा निर्धारित की गयी। उक्त सीमा के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार 02 मदों – 1. स्कूल न्यूट्रिशन गार्डेन, व 2. सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन में व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वार्षिक कार्ययोजना में पी0ए0बी0 से प्राप्त अनुमोदन एवं मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन' के अन्तर्गत सूजी से निर्मित 'मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा)' दिये जाने हेतु निर्धारित कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् हैः–

1. **वितरण अवधि व दिवस** –
 - योजना माह नवम्बर, 2026 से 14 सप्ताह (माह फरवरी, 2027 के तृतीय सप्ताह तक) तक की अवधि हेतु संचालित की जायेगी।
 - सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण प्रत्येक शुक्रवार (कुल 14 विद्यालय दिवस हेतु) को किया जायेगा। शुक्रवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में वितरण किया जायेगा।
 - माह के प्रथम व तृतीय सप्ताह को मीठा हलवा तथा द्वितीय, चतुर्थ व पंचम सप्ताह में उपमा (नमकीन हलवा) वितरित किया जायेगा।

2. **अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा**
 - सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर रसोइयों द्वारा मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 30 ग्राम सूजी व अन्य सामग्रियों से तैयार कर वितरित किया जायेगा। मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) में प्रयोग की जाने वाली

सामग्री व सामग्री का अनुमानित आंकलित व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

मीठा हलवा

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	ऊर्जा	प्रोटीन	दर (रू0 में)
1	सूजी	30 ग्राम	108	3.81	1.32
2	घी	05 ग्राम	45	-	3.27
3	चीनी	22 ग्राम	88	-	1.07
4	घिसा नारियल	05 ग्राम	32	0.25	0.84
5	ईधन	-	-	-	0.50
	कुल योग		273	4.06	7.00

उपमा (नमकीन हलवा)

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	ऊर्जा	प्रोटीन	दर (रू0 में)
1	सूजी	30 ग्राम	108	3.81	1.32
2	तेल	02 ग्राम	18	-	0.38
3	मौसमी सब्जी	20 ग्राम	12	-	0.60
4	मूँगफली	06 ग्राम	35	1.50	0.90
5	मसाले व नमक	स्वादानुसार	-	-	0.30
6	ईधन	-	-	-	0.50
	कुल योग		173	5.31	4.00

- सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण विद्यालय में मध्यावकाश में मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त किया जायेगा।
- सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) बनाये जाने हेतु यथासम्भव पैक्ड व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपयोग किया जायेगा। पैक्ड सामग्री की स्थिति में खाद्य सामग्री FSSAI मार्क्ड हो तथा एक्स्पायरी डेट का ध्यान रखा जायेगा।
- खाद्य साम्रगी का भण्डारण उचित प्रकार से किया जायेगा।
- निर्धारित मानकानुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा।

3. **क्रय प्रक्रिया**

- मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) हेतु खाद्य सामग्री का क्रय योजनान्तर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा– दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भॉति ही स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।

4. **अभिलेखीकरण**

- विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भॉति ही 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण (तिथि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरित सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि) रखा जायेगा।
- विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका में मात्रा, मूल्यांकन व एक्स्पायरी डेट भी अंकित की जानी होगी।
- विद्यालय स्तर पर साक्ष्य हेतु सप्लीमेण्ट्री न्यूट्रीशन वितरण के फोटोग्राफ संरक्षित किये जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

5. **वित्तीय स्वीकृति**

- योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हांकित माह के सापेक्ष मासिक वित्तीय स्वीकृति SNA SPARSH के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- जनपद द्वारा शासनादेश संख्या–452/अरसठ–4–2026 दिनांकः 06 जुलाई, 2026 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग/व्यय के सापेक्ष धनराशि का अन्तरण विद्यालय स्तर पर संचालित 'मध्यान्ह भोजन निधि' खातों में किया जायेगा।
- 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' के अन्तर्गत मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) पकाने व छात्रों को वितरित करने हेतु प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस रू0 2/– की दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त रसोइयों के मध्य परस्पर समान रूप से देय होगा। जनपद स्तर से अनिवार्य रूप से संबंधित धनराशि का प्रेषण रसोइयों के बैंक खाते में योजना अवधि के उपरान्त लाभान्वित छात्र संख्या के आधार पर 01 मुश्त रूप से SNA SPARSH के माध्यम से दिनांकः 31 मार्च, 2027 के पूर्व कर दिया जायेगा।

6. **उपभोग**

- जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र निम्न प्रारूप पर दिनांकः 15 अप्रैल, 2027 तक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारूप

पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वितरित 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' संबंधी
जनपद स्तरीय उपभोग प्रमाण–पत्र
जनपद

(धनराशि रू0 लाख में)

माह	जनपद को आवंटित धनराशि	वितरण दिवस की संख्या	नामांकित छात्र संख्या	कुल लाभार्थी छात्र संख्या	विद्यालय स्तर पर उपभोग की गयी कुल धनराशि (प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित दर पर)		जनपद द्वारा रसोइयों को भुगतान किया गया अतिरिक्त पारिश्रमिक	जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि
01	02	03	04	05	06		07 (05×2/–)	08
नवम्बर, 26					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
दिसम्बर, 26					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
जनवरी, 27					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
फरवरी, 27					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
कुल योग								

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद

वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)
जनपद

जिलाधिकारी
जनपद

7. <u>अनुश्रवण/मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया</u>

- विद्यालय स्तर पर ''सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन'' के वितरण की सूचना संरक्षित की जायेगी, जो आवश्यकतानुसार ब्लाक/जनपद/मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद व विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से व्यापक स्तर पर निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
- प्रदेश स्तर से सोशल आडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जायेगा।
- मॉ समूह/एस0एम0सी0 के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री वितरण का अनुश्रवण किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव/
उपाध्यक्ष

<u>पृष्ठांकन संख्याः म0भो0प्रा0/फ्लैक्सी/C-1957/2026–27 एवं दिनांकः तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), उ0प्र0 को समयान्तर्गत धनराशि हस्तान्तरण व अनुपालन हेतु।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव/
उपाध्यक्ष

पत्रांक–म0भो0प्रा0/फ्लैक्सी/C-1957/2026–27

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 08 अक्टूबर, 2026

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्यनरत समस्त छात्रों को 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन' के अन्तर्गत सूजी से निर्मित 'मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) दिये जाने हेतु कार्ययोजना एवं निर्देश प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 से योजनान्तर्गत ''फ्लैक्सी फण्ड'' की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत योजनान्तर्गत कुल आवर्ती बजट के 05 प्रतिशत फण्ड के प्रयोग किये जाने की सीमा निर्धारित की गयी। उक्त सीमा के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार 02 मदों – 1. स्कूल न्यूट्रिशन गार्डेन, व 2. सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन में व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वार्षिक कार्ययोजना में पी0ए0बी0 से प्राप्त अनुमोदन एवं मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन' के अन्तर्गत सूजी से निर्मित 'मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा)' दिये जाने हेतु निर्धारित कार्ययोजना का विवरण निम्नवत् हैः–

1. **वितरण अवधि व दिवस** –
 - योजना माह नवम्बर, 2026 से 14 सप्ताह (माह फरवरी, 2027 के तृतीय सप्ताह तक) तक की अवधि हेतु संचालित की जायेगी।
 - सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण प्रत्येक शुक्रवार (कुल 14 विद्यालय दिवस हेतु) को किया जायेगा। शुक्रवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में वितरण किया जायेगा।
 - माह के प्रथम व तृतीय सप्ताह को मीठा हलवा तथा द्वितीय, चतुर्थ व पंचम सप्ताह में उपमा (नमकीन हलवा) वितरित किया जायेगा।

2. **अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा**
 - सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर रसोइयों द्वारा मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 30 ग्राम सूजी व अन्य सामग्रियों से तैयार कर वितरित किया जायेगा। मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) में प्रयोग की जाने वाली

सामग्री व सामग्री का अनुमानित आंकलित व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

मीठा हलवा

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	ऊर्जा	प्रोटीन	दर (रू0 में)
1	सूजी	30 ग्राम	108	3.81	1.32
2	घी	05 ग्राम	45	-	3.27
3	चीनी	22 ग्राम	88	-	1.07
4	घिसा नारियल	05 ग्राम	32	0.25	0.84
5	ईधन	-	-	-	0.50
	कुल योग		273	4.06	7.00

उपमा (नमकीन हलवा)

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	ऊर्जा	प्रोटीन	दर (रू0 में)
1	सूजी	30 ग्राम	108	3.81	1.32
2	तेल	02 ग्राम	18	-	0.38
3	मौसमी सब्जी	20 ग्राम	12	-	0.60
4	मूँगफली	06 ग्राम	35	1.50	0.90
5	मसाले व नमक	स्वादानुसार	-	-	0.30
6	ईधन	-	-	-	0.50
	कुल योग		173	5.31	4.00

- सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण विद्यालय में मध्यावकाश में मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त किया जायेगा।
- सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) बनाये जाने हेतु यथासम्भव पैक्ड व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपयोग किया जायेगा। पैक्ड सामग्री की स्थिति में खाद्य सामग्री FSSAI मार्क्ड हो तथा एक्स्पायरी डेट का ध्यान रखा जायेगा।
- खाद्य साम्रगी का भण्डारण उचित प्रकार से किया जायेगा।
- निर्धारित मानकानुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा।

3. **क्रय प्रक्रिया**

- मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) हेतु खाद्य सामग्री का क्रय योजनान्तर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा– दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भॉति ही स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।

4. **अभिलेखीकरण**

- विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भॉति ही 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण (तिथि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरित सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि) रखा जायेगा।
- विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका में मात्रा, मूल्यांकन व एक्स्पायरी डेट भी अंकित की जानी होगी।
- विद्यालय स्तर पर साक्ष्य हेतु सप्लीमेण्ट्री न्यूट्रीशन वितरण के फोटोग्राफ संरक्षित किये जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

5. **वित्तीय स्वीकृति**

- योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हांकित माह के सापेक्ष मासिक वित्तीय स्वीकृति SNA SPARSH के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- जनपद द्वारा शासनादेश संख्या–452/अरसठ–4–2026 दिनांकः 06 जुलाई, 2026 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग/व्यय के सापेक्ष धनराशि का अन्तरण विद्यालय स्तर पर संचालित 'मध्यान्ह भोजन निधि' खातों में किया जायेगा।
- 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' के अन्तर्गत मीठा हलवा एवं उपमा (नमकीन हलवा) पकाने व छात्रों को वितरित करने हेतु प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस रू0 2/– की दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त रसोइयों के मध्य परस्पर समान रूप से देय होगा। जनपद स्तर से अनिवार्य रूप से संबंधित धनराशि का प्रेषण रसोइयों के बैंक खाते में योजना अवधि के उपरान्त लाभान्वित छात्र संख्या के आधार पर 01 मुश्त रूप से SNA SPARSH के माध्यम से दिनांकः 31 मार्च, 2027 के पूर्व कर दिया जायेगा।

6. **उपभोग**

- जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र निम्न प्रारूप पर दिनांकः 15 अप्रैल, 2027 तक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारूप

पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वितरित 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' संबंधी
जनपद स्तरीय उपभोग प्रमाण–पत्र
जनपद

(धनराशि रू0 लाख में)

माह	जनपद को आवंटित धनराशि	वितरण दिवस की संख्या	नामांकित छात्र संख्या	कुल लाभार्थी छात्र संख्या	विद्यालय स्तर पर उपभोग की गयी कुल धनराशि (प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित दर पर)		जनपद द्वारा रसोइयों को भुगतान किया गया अतिरिक्त पारिश्रमिक	जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि
01	02	03	04	05	06		07 (05×2/–)	08
नवम्बर, 26					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
दिसम्बर, 26					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
जनवरी, 27					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
फरवरी, 27					रू0 7/–			
					रू0 4/–			
कुल योग								

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद

वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)
जनपद

जिलाधिकारी
जनपद

7. <u>अनुश्रवण/मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया</u>

- विद्यालय स्तर पर ''सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन'' के वितरण की सूचना संरक्षित की जायेगी, जो आवश्यकतानुसार ब्लाक/जनपद/मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद व विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से व्यापक स्तर पर निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
- प्रदेश स्तर से सोशल आडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जायेगा।
- मॉ समूह/एस0एम0सी0 के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री वितरण का अनुश्रवण किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव/
उपाध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्याः म0भो0प्रा0/फ्लैक्सी/ /2026–27 एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), उ0प्र0 को समयान्तर्गत धनराशि हस्तान्तरण व अनुपालन हेतु।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव/
उपाध्यक्ष